

प्रेषक,

निदेशक,  
लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड  
23 लक्ष्मी रोड डालनवाला  
देहरादून।

सेवा में

समस्त मुख्य / वरिष्ठ / कोषाधिकारी

उत्तराखण्ड।

पत्रांक १३४।

विषय:-

/ ३०पै०यो० / नि०ले०ह० / २०१२-१३, दिनांक १५, अगस्त, २०१२।

नई पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिक जिनको सापट डेटा के आधार पर PRAN आवंटित किये गये हैं, के फार्म सी०आर०ए० फैसिलिटेशन सेंटर में जमा करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में कृपया दिनांक 24 व 25 जुलाई 2012 को सी०आर०ए० के साथ आयोजित कार्यशाला के क्रम में निर्गत कार्यवृत्त स०- 9223/नि०ले०ह०/३०पै०यो०/२०१२ दिनांक 31/07/2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा शासनादेश संख्या- 643/XXVII(7) ३०पै०यो०/२०१० दिनांक 11-08-2010 के अनुपालन में अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित जिन कार्मिकों को पूर्व में पी०पी०ए०ए०न०(सी०पी०ए०स०ए०न०) के आधार पर सापट डेटा के माध्यम से प्रान आवंटित हुए हैं के PRAN "फार्म Annexure S1" को सी०आर०ए० के फैसिलिटेशन सेंटर में जमा करने हेतु 30 सितम्बर 2012 तक का समय निर्धारित किया गया है।

उक्त सम्बन्ध में इस निदेशालय के पत्रांक— 1926 / ३०पै०यो०/२०१०-११, दिनांक 15 जनवरी 2011, पत्रांक— 1271 / 25, नवम्बर, 2010, पत्रांक— 2242 / ३०पै०यो०/२०१०-११, दिनांक 15 जनवरी 2011, पत्रांक— 1271 / ३०पै०यो०/२०१०-११, दिनांक 10, अक्टूबर, 2011, पत्रांक— 1666 / ३०पै०यो०/२०१०-११, दिनांक 29, अक्टूबर, 2011 व पत्रांक— 7386 / ३०पै०यो०/२०१२-१३, दिनांक 18, अप्रैल, 2012 के द्वारा भी अनुरोध किया गया है। परन्तु बार— बार अनुरोध करने के बाद भी सी०आर०ए० सर्वर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 11-08/2012 तक 18654 कार्मिक ऐसे हैं, जिनके फार्म अभी तक सी०आर०ए० को उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। शासन रूपर पर तक लिंगेसी डाटा सी०आर०ए० को भेजा जाना है, उनके प्रान फार्म Annexure S1, में पी०पी०ए०ए०न०(सी०पी०ए०स०ए०न०) को (16 digit format) में व सी०आर०ए० द्वारा आवंटित PRAN अकित कर यथाशीघ्र सी०आर०ए० एफ०सी० में जमा कराया सुनिश्चित करें। आवंटित प्रान एवं पी०पी०ए०ए०न०(सी०पी०ए०स०ए०न०) की विस्तृत सूची सी०आर०ए० द्वारा उपलब्ध कराये गये।

दिनांक 24 व 25 जुलाई 2012 को सी०आर०ए० के साथ आयोजित कार्यशाला में निदेशालय एवं सी०आर०ए० द्वारा उक्त सूची समस्त कोषागार अधिकारियों को उपलब्ध करायी गयी है। इस सम्बन्ध में कोषागारों व सी०आर०ए० के डाटा से इस प्रकार के कार्मिकों के विस्तृत विवरण (सी०डी० पर एकसेल फाईल में कोषागारवार शीट सी०आर०ए० को डाटा से इस प्रकार के कार्मिकों के विस्तृत विवरण (सी०डी० पर एकसेल फाईल में कोषागारवार शीट सी०आर०ए० की गयी हैं) की सूची संलग्न प्रेषित करते हुए पुनः अनुरोध है, कि जिन कार्मिकों को पूर्व में तैयार की गयी हैं) के आधार पर सापट डेटा के माध्यम से प्रान आवंटित हुआ है, अर्थात् जिनका पी०पी०ए०ए०न०(सी०पी०ए०स०ए०न०) के आधार पर सापट डेटा के माध्यम से प्रान आवंटित हुआ है, अर्थात् जिनका पी०पी०ए०ए०न०(सी०पी०ए०स०ए०न०) को भेजा जाना है, उनके प्रान फार्म Annexure S1, में पी०पी०ए०ए०न०(सी०पी०ए०स०ए०न०) को (16 digit format) में व सी०आर०ए० द्वारा आवंटित PRAN अकित कर यथाशीघ्र सी०आर०ए० एफ०सी० में जमा कराया सुनिश्चित करें। आवंटित प्रान एवं पी०पी०ए०ए०न०(सी०पी०ए०स०ए०न०) की विस्तृत सूची सी०आर०ए० द्वारा उपलब्ध कराये गये।

आपको उपलब्ध कराये गये। — PIN (login-id) से सन्दर्भित web site से भी डाउनलोड की जा सकती। अतः ऐसे कार्मिकों के प्रान फार्म परीक्षणोपरान्त सी०आर०ए०-एफ०सी० में उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। जिससे शासन को इस सम्बन्ध में अवगत कराया जा सके।

संलग्न— उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(पी०के० गोयल)

निदेशक.

(पी०के० गोयल)

निदेशक.

संख्या—यथोक्त / ३०पै०यो० / नि०ले०ह० / २०१२-१३, तददिनांक  
प्रतिलिपि— १— सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन देहरादून सूचनार्थ प्रेषित।